प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस

शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

ACCREDITED BY NAAC "B" Dt. 17/05/2022

Ph.No.: 07162-236477
E-Mail: hegpgchi@mp.gov.in

Ph.No.: 07162-351002
Website: https://pgcollegechhindwara.edu.in/

Mob. No.: 9425477966

पत्र क्र. 2576/ 2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 03.10.24

"बस सेवा हेतु विज्ञप्ति"

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये निर्धारित रूट से लाने और छोड़ने हेतु एक वाहन बस (50 सीटर) के लिये ट्रैवेल्स एजेंसी से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। इस हेतु आवेदकों द्वारा निम्न प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें, महाविद्यालय से कार्यालयीन समय पर तथा महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं । भावपत्र दिनाँक 10.10.2024 तक कार्यालयीन समय में आवश्यक रूप से एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में महाविद्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी।

// प्रारूप //

क्र.	विवरण	विशिष्टीकरण	दर (रु. में)
01	यात्री बस	1. 50 सीटर नॉन ए.सी. बस 2. वाहन का पंजीकरण वर्ष/ मॉडल/ वाहन/ बीमा 3. वाहन जी पी एस सिस्टम व CCTV युक्त होना चाहिए ।	1.प्रति किलोमीटर की दर (ईंधन, चालक, परिचालक का वेतन एवं मरम्मत कार्य सहित) 2. प्रति माह की दर (ईंधन, चालक, परिचालक का वेतन एवं मरम्मत कार्य सहित)

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस

शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

बस निविदा की शर्ते निम्नलिखित हैं :

1. महाविद्यालय आवश्यकतानुसार प्रति शैक्षणिक दिवस महाविद्यालय द्वारा निर्धारित चक्र एवं रूट के अनुसार बस का संचालन किया जाएगा । समय चक्र एवं रूट आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय होगा । आवेदन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए रहेगा ।

2. बस का उपयोग अनुबंध अवधि में इस महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों एवं स्टाफ़ के द्वारा ही किया जाएगा ।

3. अनुबंध अवधि के भीतर बस का अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जायेगा एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैठाने की अनुमति नहीं होगी ।

4. शासकीय अवकाश और रविवार के दिन बस का संचालन नहीं होगा, किन्तु प्राचार्य के आदेशानुसार बस का उपयोग अवकाश के दिन भी किया जा सकता है ।

5. बस का प्रति किलोमीटर निर्धारित किराये के अतिरिक्त कोई भी भुगतान देय नहीं होगा ।

6. बस सेवा प्रदाता द्वारा म.प्र मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य होगा । साथ ही वाहन सुरक्षा, वैध बीमा, वैध रुट परमिट, वैध फिटनेस , पी.यू.सी प्रमाण पत्र की प्रति प्रथम पक्ष के पास जमा करना होगा । ड्राइवर का कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है ।

7. कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्र 2453//नीति/टी.सी/2024 ग्वालियर दिनांक 22/05/2024 में जारी गाइड लाइन के आवश्यकतानुसार बस का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. बस के दोनों तरफ़ महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त बैनर लगाना होगा ।

9. कंडक्टर की योग्यता 10 वीं पास या अधिक होना अपेक्षित है । कंडक्टर एवं ड्राइवर को निर्धारित प्रमाण पत्र/लायसेंस तथा यूनिफार्म में बस का संचालन करना होगा ।

10. विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु बस में अग्निशामक यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य रहेगा ।

11. अनुबंध पश्चात आर.टी.ओ. से जारी नवीन रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा किराए हेतु प्रतिमाह देयकों की तीन प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाएगी । वहाँ किराया राशि के भुगतान में यदि कोई विशेष स्थिति में विलंब होता है तो इसके लिए कोई ब्याज अथवा अन्य शुल्क का भुगतान नहीं देय होगा ।

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

13. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत देयकों में उपलब्ध कराए गए बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ़.एस.सी कोड पर बस के किराए का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा ।

14. बस सेवा प्रदाता को पेन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगी तथा आयकर नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती मासिक भुगतान पर की जाएगी।

15. बस का नियमित रख रखाव एवं स्वच्छता का जिम्मा सेवा प्रदाता का होगा, बस की ख़राबी वाले दिन का किराया देय नहीं होगा।

16. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर उक्त अनुबंध निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य को होगा।

17. दोनों पक्षों द्वारा एक माह के पूर्व सूचना उपरांत अनुबंध समाप्ति किए जाने की प्रक्रिया की जा सकती है।

18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र छिन्दवाड़ा होगा।

19. बस में CCTV और GPS होना अनिवार्य रहेगा।

20. सेवा प्रदाता को GST रजिस्ट्रेशन तथा तीन महीनों का GST RETURN प्रस्तुत करना होगा।

21. ड्राईवर एवं कंडक्टर का आधार कार्ड, फोटो और संपर्क जानकारी कि प्रति जमा करनी होगी।

22. निविदा आवेदन के साथ सिक्योरिटी राशि 50,000 रूपए प्राचार्य, PMCoE शास. स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के नाम से जमा करना अनिवार्य रहेगा।

---000000---

Scanned by CamScanner